



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

क्रमांक : क्षे.का.सी. / लेखा / 2021

दिनांक


खुली निविदा सूचना 01/2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मैन विद मशीन), मानव संसाधन सेवाओं एवं वाहन मय झाड़वर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मैन विद मशीन)-3	325000/-	8500/- अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500/-	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे
2	मानव संसाधन सेवाओं का उपापन - 7	400000/-	8000/- अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500/-	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे
3	टैक्सी परमिट वाहन-1	400000/-	8000/- अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500/-	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे

1. खुली निविदा आमन्त्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
2. बोली प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27.11.2021 से कार्यालय समय में बोली प्रपत्र शुल्क नकद/डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. बोली प्रपत्र <http://sppp.rajasthan.gov.in> से प्राप्त करने की स्थिति में बोली प्रपत्र शुल्क डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है परन्तु नगद जमा करवाने की स्थिति में बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर प्राप्ति रसीद को बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. सीमित बोली की प्रतिभूति राशि डी.डी./बैंकर्स चैक/शपथ पत्र बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. प्राप्त बोलियां दिनांक 18.11.2021 को अपराह्न 5:00 बजे इस कार्यालय के कक्ष संख्या 18 में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेंगी।
6. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति को अधिकार सुरक्षित है।
7. इस निविदा का NIB No. एवं

UBN No. है।



(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक : क्षे.का.सीकर/लेखा/2021 /1302-03

दिनांक 26/10/21

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. लेखा शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर (मुख्यालय)
2. श्री दिनेश योगी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रेषित कर लेख है कि बोली को <http://sppp.rajasthan.gov.in> राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा


(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

खुली निविदा सूचना 01/2021 क्रम संख्या 1

लिफाफा नं. 2

कार्य का नाम : मैन विद मशीन - 3

NIB No.

UBN No.

वित्तीय बोली प्रपत्र

हमारी संस्था/हमारे कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर में मैन विद मशीन की दरें एवं राशि निम्न प्रपत्र में अंकित की जा रही हैं। निम्न दरें वर्ष 2021-2022 (31 मार्च 2022 तक) हेतु दी जा रही हैं।

निविदा प्रपत्र विक्रय करने की तिथि एवं समय

27.10.2021 प्रातः 10:00 बजे से

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय

18.11.2021 अपराह्न 12:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय

18.11.2021 अपराह्न 01:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय

18.11.2021 सायंकाल 05:00 बजे

निविदा प्रपत्र शुल्क

500/- रुपये

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (महा योग)
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु.)	श्रमिकों की संख्या	कुल राशि (प्रतिमाह रु.)					
1	03									
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन)					% (नियोक्ता)	% (नियोक्ता)			

1. स्तम्भ संख्या 3 से 6 एवं 9 से 11 में हमारे द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की गयी हैं।
2. हमारे द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. सभी प्रकार के करों/श्रमिक एवं नियोक्ता द्वारा देय EPF एवं ESI नियमानुसार को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की/हमारी होगी। संवेदक/हमारे द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) एवं अन्य सभी प्रकार के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) या अन्य किसी प्रकार (EFP, ESI etc) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST), या EFP, ESI etc का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) या EFP, ESI etc के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/हमारा का होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

खुली निविदा सूचना 01/2021 क्रम संख्या 1

लिफाफा नं. 2

कार्य का नाम : मैन विद मशीन - 3

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये

NIB No.

UBN No.

खुली निविदा बोली प्रपत्र संवेदक का विवरण

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम :
2. डाक का पता :
3. फोन/मोबाईल नं. :
4. ई-मेल :
5. बैंक का नाम :
- IFSC Code :
- खाता संख्या :
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी -

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाने का साक्ष्य : (रसीद/डीडी/बैंकर्स चैक नं. मय दिनांक)				
8.	बोली प्रतिभूति शुल्क जमा करवाने का साक्ष्य / शपथ पत्र				
9.	उपलब्ध करवाये जाने वाले उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत				

7. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय सीकर द्वारा जारी की गयी खुली निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गयी उक्त खुली निविदा बोली आमन्त्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

खुली निविदा सूचना 01/2021 क्रम संख्या 1

लिफाफा नं. 2

कार्य का नाम : मैन विद मशीन - 3

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये

General Terms & Conditions of Bid & contract :

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी होंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. जमा करवाना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **display boards** लगाये जायेंगे जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्प लाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई एस आई की राशि जमा करवाने का दायित्व संवेदक का होगा।
10. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
11. श्रम विधि के अंतर्गत नियमों, उप नियमों एवं अधिसूचना तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों की पालना का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
14. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई एस आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

संवेदक के हस्ताक्षर मय सील



Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** करने की कार्यवाही करेगी।
16. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा संविदा चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक कीमत करने करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
17. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
18. खुली निविदा बोली दर बोली 31 मार्च 2022 तक के लिए आमंत्रित है।
19. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub Let) पर नहीं देय होगा।
20. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह 5 दिवस में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
21. यदि किसी बोलीदाता पर कोई वैधानिक अधिनियम लागू नहीं होता है और वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसकी बोली नियमानुसार मान्य की जायेगी।
22. बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
23. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
 - अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत राशि/शपथ पत्र कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में नगद/चालान से जमा करानी होगी एवं राशि 500 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित प्रारूप में 15 दिवस में एक करार पत्र का निष्पादन करना होगा।
 - ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि/शपथ पत्र दे देता है।
 - स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :-

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

 - अ) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा संतोषजनक ढंग से उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो।
 - स) जब बोलीदाता कार्यदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में सेवा आरम्भ कर पाने में असफल रहा हो।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि समपहरण करने के युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
25. भुगतान :-
 - अ) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
26. फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संवेदक के हस्ताक्षर मय सील



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

खुली निविदा सूचना 01/2021 क्रम संख्या 1

लिफाफा नं. 2

कार्य का नाम : मैन विद मशीन - 3

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये

NIB No.

UBN No.

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

1. Computer System - Includes the following items with specifications :

- COMPUTER** - Intel Core i 5 / equivant AMD Computer or higher Speed, RAM 2/4 GB or Higher, HDD 250 GB or More, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Key Board, Opetical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports window 7 or Higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software lience will be bome by the contractor. System is not older then 3 Year
- Printer** - Black & White Leser Printer with speed 15 ppm or more. for specific needs, Dot Matrix/Inkjet Printer may be taken in lieu of laser printer.
- UPS** - Online/Offline UPS for above computer and printer with 30 minutes batary backup.

2. Trained Personnel :-

The Personnel should be Sr. Secondary, Should have knowledge to operate computer in windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

3. जॉब/कार्य : कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है

- सामान्यतः कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त समय में भी कार्य लिया जा सकता है।
- हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण एवं प्रिन्टिंग करना।
- डाटा एन्ट्री का कार्य करना
- एम.एस.वर्ड, एम.एस. एक्सल, पावन पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
- ई-मेल करना / प्राप्त करना।
- विभिन्न पोर्टल/मॉड्युल्स में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना
- ई-गवर्नेन्स में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना
- संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।
- विशिष्ट शर्तें :-

- स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण बोली में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
- उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली फिटिंग की व्यवस्था इस कार्यालय द्वारा की जायेगी। विद्युत व्यय का भार कार्यालय वहन करेगा। यह कार्यालय यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
- बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर मे प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

संवेदक के हस्ताक्षर मय सील



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

4. किसी भी माह के चार कार्य दिवस के अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि रुपये में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौति की जायेगी।
5. विशेष परिस्थितियों में यह कार्यालय इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकता है जिसके लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक करवाने हेतु कहा जावेगा। निर्धारित अवधि में ठीक नहीं कराने पर 15 दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
8. यदि उपकरण की चोरी या अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता चाहे तो उपकरण का बीमा करवा सकता है।
9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. भुगतान मासिक आधार पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है कि द्वारा बिल सत्यापन के उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जावेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जायेगा।
11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व बोलीदाता) का न्याय क्षेत्र जिला सीकर रहेगा।
12. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखना तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलीट किया जायेगा।
13. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़ / रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉब एवं कार्य नहीं करने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) उपलब्ध करवा जायेगा।
15. उपलब्ध कराये जाने वाले संबंधित प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का EPF एवं ESI में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

खुली निविदा सूचना 01/2021 क्रम संख्या 1

कार्य का नाम : मैन विद मशीन - 3

लिफाफा नं. 2

NIB No.

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये

UBN No.

घोषणा पत्र

खुली निविदा सूचना की समस्त जानकारी / शर्तों को मैंने / हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है मैं / हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में खुली निविदा बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन / उपकरण / प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर किया जा सकेगा तथा खुली निविदा बोली को जिस सीता तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील